



सरसावां विकासखण्ड (जनपद—सहारनपुर) में ग्रामीण अधिवास संरचना का तुलनात्मक अध्ययन

मनजीत सिंह—शोध छात्र

डॉ प्रेम शंकर पाण्डेय, असि0 प्रोफेसर

भूगोल विभाग, भारतीय महाविद्यालय, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश

DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.23260038>

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Received: 21-07-2026

Accepted: 20-08-2026

Published: 25-09-2026

Keywords:

ग्राम्याकार, ग्रामीण अधिवास,
घनत्व, क्षेत्रफल।

ABSTRACT

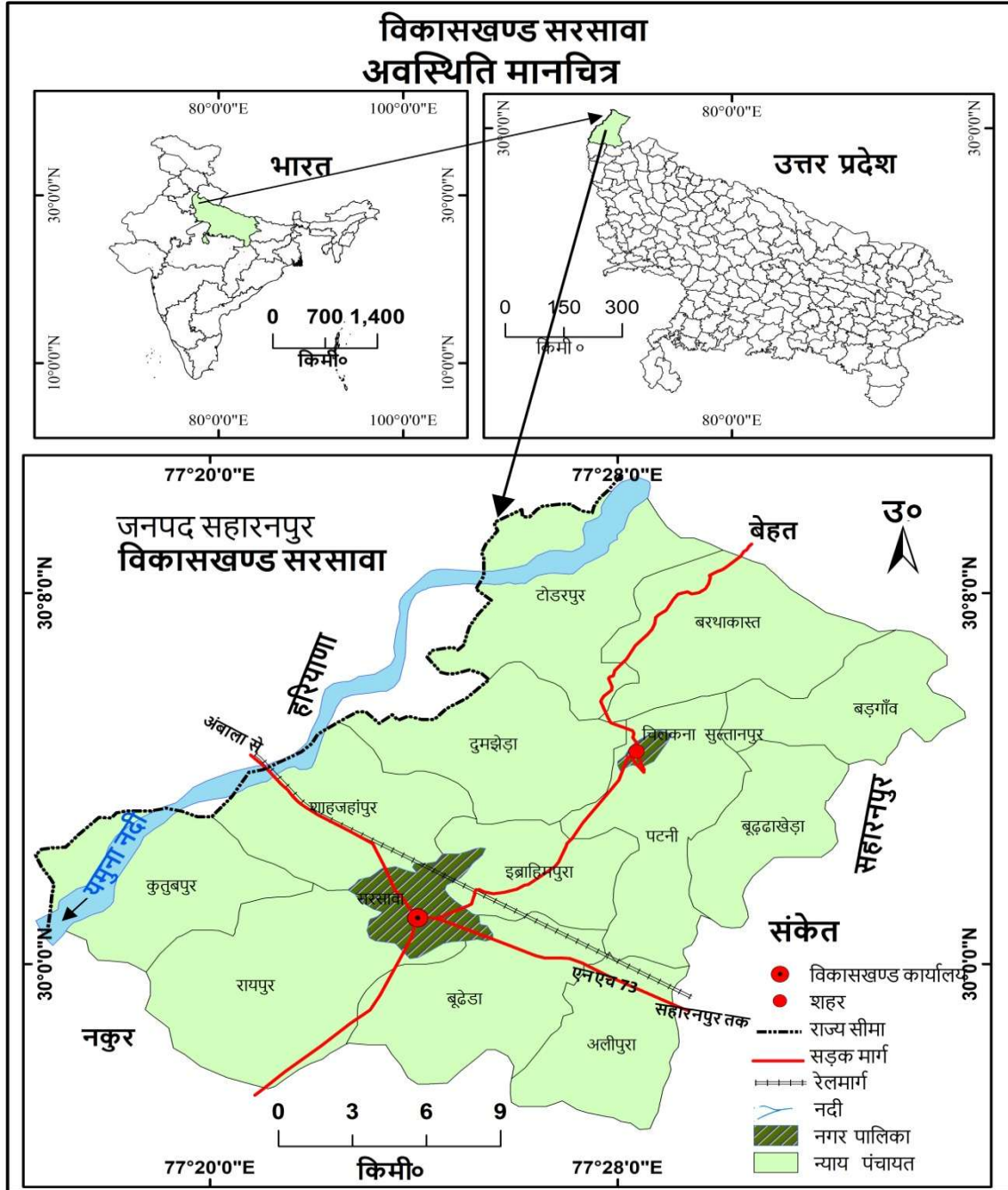
क्षेत्रीय समन्वित विकास के संदर्भ में अधिवासों के रूप में सेवा केन्द्रों की विशेषताएँ एवं विकास में इनकी भूमिका, केन्द्रीयता तथा इनका प्रभाव क्षेत्र इत्यादि का अध्ययन महत्वपूर्ण है। अध्ययन क्षेत्र के अधिवासों का ग्राम्याकार विश्लेषण एवं वितरण उनकी जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के आधार पर किया गया है। विकासखण्ड सरसावां में समान भू-सांस्कृतिक व्यवस्था होने के कारण अधिवासों के वितरण में भी समानता दृष्टिगोचर होती है किंतु कुछ स्थानों पर इनमें असमानता भी मिलती है। इस असमानता के मुख्य कारण स्थानीय दोषों, भूमि की उर्वरता में भिन्नता, अभिगम्यता सहित विभिन्न सामाजिक आर्थिक तत्वों में भिन्नता का होना है। अतः क्षेत्र विशेष के निवासियों के सामाजिक आर्थिक स्वरूप, विकास स्तर तथा स्वास्थ्य एवं जीवन के स्तर के ज्ञान के लिए अधिवासों का विकासखण्ड सरसावां आवश्यक है। समन्वित क्षेत्रीय विकास के संदर्भ में अधिवासों के रूप में सेवा केन्द्रों की विशेषताएँ एवं विकास में इनकी भूमिका, केन्द्रीयता तथा इनका प्रभाव क्षेत्र इत्यादि का विकासखण्ड सरसावां महत्वपूर्ण है। विकासखण्ड सरसावां क्षेत्र के अधिवासों का ग्राम्याकार विश्लेषण एवं वितरण उनकी जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के आधार पर किया गया है।

स्थिति एवं विस्तार:—

सहारनपुर जनपद के विकासखण्ड सरसावां का अक्षांशीय विस्तार 29°56'26" उत्तर से 30°10'12" उत्तर हैं तथा देशांतरीय विस्तार 77°16'35" पूर्व से 77°34'49" पूर्व हैं एवं इसका क्षेत्रफल 345.34 वर्ग किमी. है। विकासखण्ड की

Disclaimer: The opinions, interpretations, conclusions, recommendations, analyses, and statements expressed in this research article are solely those of the author(s) and do not reflect the views, policies, or positions of the Publisher, Chief Editor, Editors, Editorial Board, Reviewers, or their affiliated institutions. The author(s) are solely responsible for ensuring the originality, authenticity, and integrity of the manuscript and for ensuring that it is free from plagiarism, AI-generated content, copyright infringement, data falsification, and any other form of academic misconduct.

सम्पूर्ण जनसंख्या 2,58,323 (जनगणना 2011) है। विकासखण्ड सरसावा का क्षेत्र तहसील नाकुर एवं सहारनपुर में आता है। विकासखण्ड की



पश्चिमी सीमा हरियाणा प्रदेश के मिलती हैं। मुख्यालय से निकटतम प्रमुख नगर दिल्ली 154 किलोमीटर दक्षिण में तथा प्रदेश की राजधानी लखनऊ लगभग 650 किलोमीटर पूर्व में स्थित हैं। भारत के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यमुना मैदान के पूर्व भाग में स्थित सहारनपुर जनपद दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित हैं। संरचनात्मक दृष्टिकोण से विकासखण्ड सरसावा जलोढ़ पूरित गर्त का भाग है। इसमें जलोढ़ का जमाव हिमालय पर्वत की निर्माण प्रक्रिया से संबंधित है जो

प्लीस्टोसीन काल से प्रारम्भ होकर अभी तक चल रहीं हैं। इस समतल मैदानी भू-भाग का निर्माण यमुना एवं मसकरा नदियों द्वारा लाए गये जलोढ़ से निर्मित हुआ है। तबसे अनवरत अवनमन एवं अपरदन के कारण यत्र-तत्र असमतल हो गया है

जनसंख्या के आधार पर ग्रामीण अधिवासों का आकार एवं वितरण:—

जनसंख्या के आधार पर ग्रामीण अधिवासों के आकार की अभिव्यक्ति उनके द्वारा अधिगृहीत क्षेत्र पर निवास करने वाली जनसंख्या के आधार पर की गयी है। इसमें 500 से कम जनसंख्या वाले ग्राम को लघु आकार के अन्तर्गत रखा गया है। 2001 और 2011 जनसंख्या के आधार पर विश्लेषण करने पर यह ज्ञात होता है कि 2001 में लघु आकार वाले अधिवासों की कुल संख्या 31 थी जो कुल ग्राम संख्या का 20.26 प्रतिशत थी। जबकि 2011 में ग्रामों की संख्या 30 थी जो कुल ग्राम संख्या का 19.61 प्रतिशत थी। इन ग्रामों में जनसंख्या 500 से कम थी। इसी प्रकार 500—1500 जनसंख्या वाले ग्रामों की संख्या 2001 में 59 थी जो कुल ग्राम संख्या का 38.56 प्रतिशत थी जबकि 2011 में ग्रामों की संख्या 53 थी जो कुल ग्राम संख्या का 34.64 प्रतिशत थी। इसी प्रकार 1500—2500 जनसंख्या वाले ग्रामों की संख्या 2001 में 27 थी जो कुल ग्राम संख्या का 17.65 प्रतिशत थी जबकि 2011 में ग्रामों की संख्या 33 थी जो कुल ग्राम संख्या का 21.57 प्रतिशत थी। इसी प्रकार 2500—3500 जनसंख्या वाले ग्रामों की संख्या 2001 में 16 थी जो कुल ग्राम संख्या का 10.46 प्रतिशत थी जबकि 2011 में ग्रामों की संख्या 15 थी जो कुल ग्राम संख्या का 9.80 प्रतिशत थी। क्रमशः 3500—4500 जनसंख्या वाले ग्रामों की संख्या 2001 में 14 थी जो कुल ग्राम संख्या का 9.15 प्रतिशत थी जबकि 2011 में ग्रामों की संख्या 13 थी जो कुल ग्राम संख्या का 8.50 प्रतिशत थी। विकासखण्ड में 4500 से अधिक जनसंख्या वाला ग्राम केवल 6 था जो कि कुल ग्रामों की संख्या का 3.92 प्रतिशत था। जबकि 2011 में ग्रामों की संख्या बढ़कर 9 हो गयी थी जो कुल ग्राम संख्या का 5.88 प्रतिशत थी। (सारणी 1.1)।

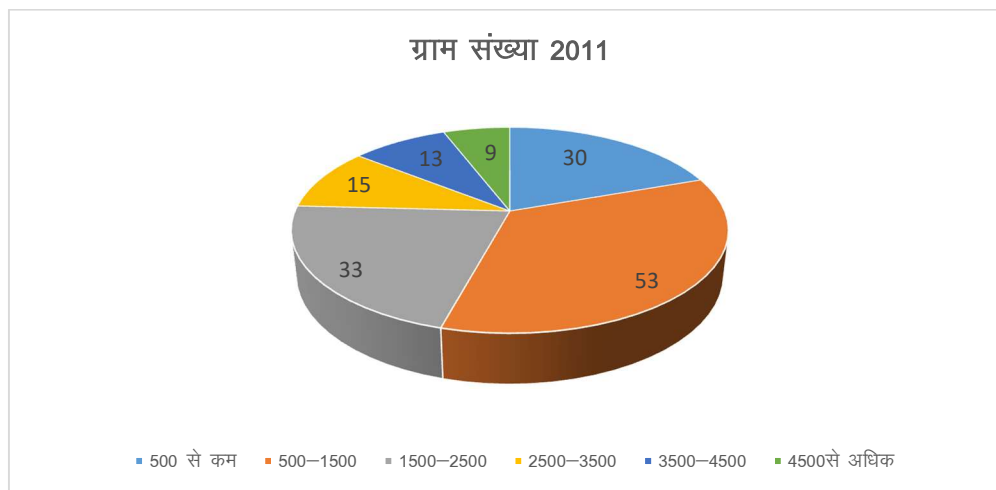
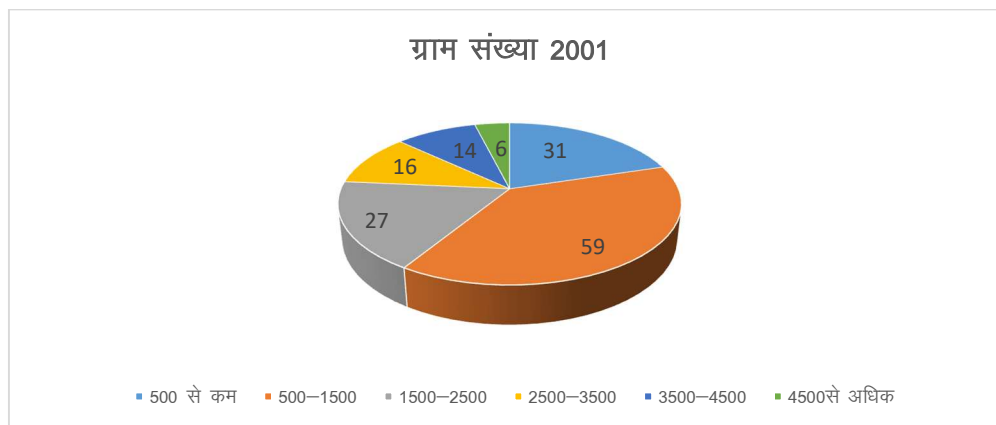
इस प्रकार स्पष्ट है कि दो दशकों, 2001—2011 के आँकड़ों का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि कम जनसंख्या वाले ग्रामों में ह्रास हुआ है जबकि 1500 से 2500 जनसंख्या वाले ग्रामों की संख्या में वृद्धि हुई है।

सारणी 1.1: जनसंख्या के आधार पर ग्राम्याकार (2001—2011)

ग्रामों की जनसंख्या	2001		2011	
	ग्राम	ग्राम संख्या प्रतिशत में	ग्राम	ग्राम संख्या प्रतिशत में
500 से कम	31	20.26	30	19.61
500—1500	59	38.56	53	34.64
1500—2500	27	17.65	33	21.57
2500—3500	16	10.46	15	9.80

3500—4500	14	9.15	13	8.50
4500से अधिक	6	3.92	9	5.88
योग	153	100	153	100

स्रोत: प्राथमिक जनगणना सार, सरसावां 2001—2011



क्षेत्र में 4500 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों की संख्या में अत्यन्त न्यून वृद्धि हुई है। अध्ययन क्षेत्र में विगत दो दशकों में उन ग्रामों की संख्या में वृद्धि हुई है जहाँ अधिवासों में जनसंख्या बढ़ गई है। इसका कारण सामाजिक आर्थिक क्रियाओं एवं सुविधाओं में वृद्धि है।

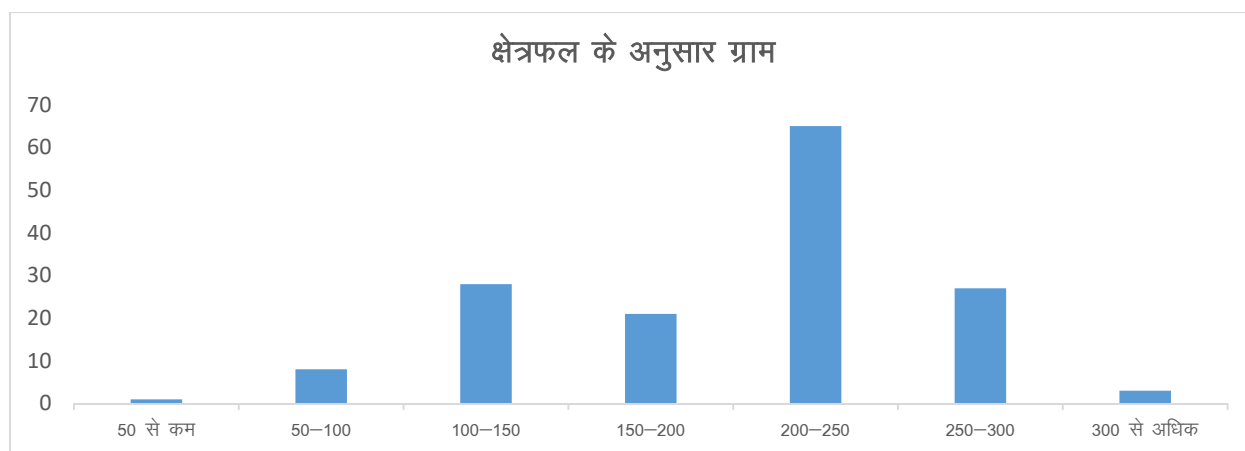
क्षेत्रफल के आधार पर ग्रामीण अधिवासों का आकार विवरण:-

क्षेत्रफल के आधार पर ग्रामीण अधिवासों के आकार को उनके द्वारा अधिग्रहित क्षेत्रफल के आधार पर निर्धारित किया गया है (सारणी 1.2)। लघु आकार वाले अधिवासों में जिनका क्षेत्रफल 50 हेक्टेयर से कम है, के अन्तर्गत 0.65 प्रतिशत ग्राम आते हैं। वृहद् आकार वाले अधिवासों जिनका क्षेत्रफल 300 हेक्टेयर से अधिक है, के अन्तर्गत 3 ग्राम आते हैं।

सारणी 1.2: क्षेत्रफल के आधार पर ग्राम्याकार (2011)

क्षेत्रफल (हे० में)	ग्राम	ग्राम संख्या प्रतिशत में
50 से कम	1	0.65
50—100	8	5.22
100—150	28	18.30
150—200	21	13.72
200—250	65	42.48
250—300	27	17.64
300 से अधिक	3	1.96
योग	153	100

स्रोत: प्राथमिक जनगणना सार, सरसावां 2011



इनके अतिरिक्त 50 से 100 हेक्टेयर क्षेत्रफल के अन्तर्गत आने वाले 8 (5.22) ग्राम हैं तथा 100—150 हेक्टेयर क्षेत्रफल के अन्तर्गत 28 (18.30) ग्राम आते हैं। 150 से 200 हेक्टेयर क्षेत्रफल के अन्तर्गत आने वाले 21 (13.72) ग्राम हैं तथा 200—2500 हेक्टेयर क्षेत्रफल के अन्तर्गत 65 (42.48) ग्राम आते हैं (सारणी 1.2)। स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में कम क्षेत्रफल के अन्तर्गत अधिवासों की संख्या अधिक है। इसके विपरीत अधिक क्षेत्रफल के अन्तर्गत ग्रामों की संख्या कम है।

घनत्व के आधार पर ग्राम्याकार:—

अधिवासों के आकार को घनत्व के आधार पर ज्ञात करने के लिए अधिवासों के क्षेत्रफल को अधिवासों की संख्या से विभाजित किया गया है, जिसमें निम्नलिखित सूत्र का उपयोग किया गया है :घनत्व = अधिवासों का क्षेत्रफल/ अधिवासों की संख्या

सारणी 1.3 : घनत्व के आधार पर न्याय पंचायत (2011)

विकासखण्ड	घनत्व प्रति वर्ग किमी ⁰	न्यायपंचायत
लघु	14 से कम	6
मध्यम	14–19	5
उच्च	19 से अधिक	1

स्रोत: प्राथमिक जनगणना सार, बनकटी 2011

इस सूत्र के प्रयोग द्वारा न्याय पंचायत स्तर पर अधिवासों का घनत्व ज्ञात किया गया है। अध्ययन क्षेत्र में लघु घनत्व (14 वर्ग किमी⁰ से कम) के अन्तर्गत 6 न्याय पंचायतें क्रमशः सम्मिलित हैं। मध्यम घनत्व 14–19 प्रति वर्ग किमी⁰ के अन्तर्गत 5 न्याय पंचायतें क्रमशः हैं। उच्च घनत्व 19 से अधिक के अन्तर्गत मात्र एक न्याय पंचायत सम्मिलित है

अधिवासो के प्रकार:—

किसी क्षेत्र विशेष के अधिवासो की स्थिति, आकृति और उनके प्रकार के अध्ययन या विश्लेषण द्वारा उनकी विशेषताओ को जाना जा सकता है और इस आधार पर उनके वितरण स्वरूप पर आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक कारकों की भूमिका का निर्धारण किया जा सकता है। ग्रामीण अधिवासों के अध्ययन द्वारा उनकी समस्याओं के निदान एवं प्रादेशिक स्तर पर नियोजन के लिए योजनाएँ क्रियान्वित की जा सकती हैं। विकासखण्ड स्तर के अधिवासों की समस्याएँ प्रायः समान होती है अतः इनका नियोजन करना अपेक्षाकृत सरल होता है। क्षेत्र में आवासों की अवस्थिति एवं उनके प्रकीर्णन के आधार पर अधिवासों को 4 प्रकारों में विभाजित किया जाता है :

1. सघन ग्रामीण अधिवास
2. अर्द्धसघन ग्रामीण अधिवास
3. पुरवायुक्त ग्रामीण अधिवास
4. प्रविकीर्ण ग्रामीण अधिवास

विकासखण्ड सरसावां में चतुर्थांश सांख्यिकीय तकनीक (सिंह, 1974) के आधार पर अधिवासो के प्रकारों का वर्गीकरण किया गया है। यदि किसी ग्राम में बसे हुए गृहो की अवस्थिति एक साथ है एवं प्रथम चतुर्थांश के मध्य है तो उसे सघन अधिवास कहा जाता है। इन अधिवासो में एक या एक से अधिक परिवारों के मकान हो सकते हैं। यदि किसी ग्राम में गृहों की अवस्थिति प्रथम से द्वितीय चतुर्थांश के बीच है तथा पुरवों की संख्या 2 से 5 है तो उसे



अर्द्धसघन ग्रामीण अधिवास कहते हैं। 5 से अधिक पुरवों से युक्त तथा द्वितीय और तृतीय चतुर्थांशों के मध्य अवस्थित अधिवास पुरवा युक्त ग्रामीण अधिवास के अन्तर्गत आते हैं। तृतीय चतुर्थांश के ऊपर पुरवों की संख्या वाले ग्रामीण अधिवास को प्रविकीर्ण ग्रामीण अधिवास कहा जाता है। इस प्रकार चतुर्थांश सांख्यिकीय तकनीक के आधार पर अध्ययन क्षेत्र में मुख्यतः तीन प्रकार के अधिवास प्रतिरूप पाए जाते हैं : 1 सघन ग्रामीण अधिवास, 2. अर्द्धसघन ग्रामीण अधिवास तथा 3 .पुरवायुक्त अधिवास।

सघन ग्रामीण अधिवास:-

सघन ग्रामीण अधिवासों में अधिवास पास-पास सटे हुए स्थित होते हैं। इन अधिवासों को पुंन्जित, संकेन्द्रित या न्यष्टित अधिवास भी कहते हैं। विडाल डी ला ब्लाश ने इन्हें पुंन्जित बस्तियाँ कहा है। ऐसा देखा गया है कि इन अधिवासों में सांस्कृतिक एकता पाई जाती है एवं परस्पर निर्भरता, सामुदायिक भावना तथा सामूहिक क्रियाकलापों की प्रधानता होती है। अध्ययन क्षेत्र में सघन ग्रामीण अधिवासों के अन्तर्गत कुल 58 (27.35) ग्राम आते हैं। दिक्का कलान , सलहापुर, इसलामनगर आदि ग्राम इसके अन्तर्गत आते हैं। इन ग्रामों में मात्र एक पुरवा पाया जाता है।

अर्द्ध सघन ग्रामीण अधिवास:-

अधिवासों का यह प्रतिरूप सघन एवं पुरवायुक्त अधिवासों के मध्य की अवस्था होती है। इस प्रकार के अधिवासों के अंतर्गत एक मुख्य अधिवास होता है। मुख्य अधिवास से कुछ दूरी पर एक या अनेक ऐसे ग्राम होते हैं जिनमें 2 से 5 पुरवे होते हैं। अध्ययन क्षेत्र में अर्द्ध सघन ग्रामीण अधिवास कुल ग्रामों का 115 (54.24 प्रतिशत) हैं। अर्द्ध सघन ग्रामीण अधिवासों के अंतर्गत मुख्य रूप से बरगाह, पिकौरा, बरौहिया कला एवं ससाना गाँव ग्राम आते हैं।

पुरवायुक्त ग्रामीण अधिवास:-

इनके अंतर्गत अधिवास सघन न होकर ग्राम सीमा के अंतर्गत ही कई छोटे-छोटे नगलों या बस्तियों में विभक्त होते हैं। प्रत्येक बस्ती एक संयुक्त इकाई होती है। इन बस्तियों के चतुर्दिक खेत खलिहान व बाग फँले होते हैं। पुरवायुक्त ग्रामीण अधिवासों में पुरवों की संख्या 5 से अधिक होती है। अध्ययन क्षेत्र में पुरवायुक्त ग्रामीण अधिवास कुल ग्रामों का 39 (18.39 प्रतिशत) हैं।

निष्कर्ष:- विकासखण्ड में समान भू-सांस्कृतिक व्यवस्था होने के कारण अधिवासों के वितरण में भी समानता दृष्टिगोचर होती है किंतु कुछ स्थानों पर इनमें असमानता भी मिलती है। इस असमानता के मुख्य कारण स्थानीय दोषों, भूमि की उर्वरता में भिन्नता, अभिगम्यता सहित विभिन्न सामाजिक आर्थिक तत्वों में भिन्नता का होना है। अतः क्षेत्र विशेष के निवासियों के सामाजिक आर्थिक स्वरूप, विकास स्तर तथा स्वास्थ्य एवं जीवन के स्तर के ज्ञान के लिए अधिवासों का अध्ययन आवश्यक है।

सन्दर्भ:-



पाण्डेय प्रेम शंकर (2015), बनकटी विकासखण्ड (जनपद-बस्ती) का ग्रामीण विकास एवं नियोजन: एक भौगोलिक अध्ययन, शोध प्रबन्ध भूगोल विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी

सिंह, हरिश्चन्द्र एवं सिंह, अमित कुमार (2011), बदलापुर विकासखण्ड में ग्रामीण व्यावसायिक संरचना, उत्तर भारत भूगोल पत्रिका, अंक 41 पृ0सं0 85-88।

सिंह, मंगला, (1999), प्रादेशिक नियोजन एवं ग्रामीण विकास, मिश्रा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, वाराणसी, पृ0 157।

सिंह, डॉ० आनन्द एवं सिंह, सन्तोष कुमार (2001), भूमि उपयोग नियोजन एवं शाश्वत ग्रामीण विकास, धर्मापुर विकासखण्ड का एक भौगोलिक अध्ययन, उत्तर भारत भूगोल पत्रिका, गोरखपुर, अंक- 37, सं0 1-2, पृ0 69।

सिंह, मंगला, (1999), प्रादेशिक नियोजन एवं ग्रामीण विकास, मिश्रा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, वाराणसी, पृ0 157।

सिंह, अमर एवं रजा, मेहदी (1980), मानवीय संसाधन एवं संरक्षण भूगोल, प्रगति प्रकाशन, मेरठ।

हैगट, पी. (1965), लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी, इनव.र्ड आनरोल्ड, लन्दन।